

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय: राज्य के चिकित्सकों/चिकित्सा शिक्षकों के लिए केन्द्रीय डायनेमिक ए०सी०पी० के लाभ का प्रावधान हू-ब-हू लागू करने के सम्बन्ध में ।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के चिकित्सकों को केन्द्रीय डायनेमिक ए०सी०पी० का लाभ हू-ब-हू देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

2. केन्द्रीय डायनेमिक ए०सी०पी० के अनुरूप बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा संवर्ग की वेतन संरचना निम्नवत होगी :


(क) बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (सामान्य कर्तव्य उप संवर्ग)

	From	To	No. of years of Service required for Promotion
1.	PB.II.G.P. 5400/-	P.B.III G.P 6600/-	4 years in Grade Pay 5400/- in PB-II
2.	PB. III. G.P. 6600/-	PB. III G.P 7600/-	5 years in Grade Pay 6600/- in PB-III or 9 years in service
3.	PB. III. G.P. 7600/-	PB. IV G.P - 8700/-	4 years in Grade Pay 7600/- in PB-III or 13 years in service
4.	PB. IV. G.P - 8700/-	PB. IV G.P 10,000/-	7 years in Grade Pay 8700/- in PB IV or 20 years in service including in PB. IV Grade Pay 8700/-

(ख) बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (विशेषज्ञ उपसंवर्ग)

	From	To	No. of years of Service required for Promotion
1.	PB. III. G.P. 6600/-	PB. III G.P. 7600/-	Two years of Service in Grade Pay 6600 in PB-III
2.	PB. III. G.P. 7600/-	PB.IV G.P. 8700/-	Four years of Service in Grade Pay 7600/- in PB. III or six years of total service
3.	PB.IV. G.P. 8700/-	PB. IV G.P 10000/-	Seven years of Service in Grade Pay 8700/- PB. IV or Total 13 years of service including in G.P 8700/-

89 (2)  
25/1/18



(ग) बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग

	From	To	No. of years of Service required for Promotion
1.	PB. III. G.P. 6600/-	PB. III G.P. 7600/-	Two years of Service in Grade Pay 6600/-in PB-III
2.	PB. III. G.P. 7600/-	PB.IV G.P. 8700/-	Four years of Service in Grade Pay 7600/- in PB. III or six years of total service
3.	PB.IV. G.P. 8700/-	PB. IV G.P 10000/-	Seven years of Service in Grade Pay 8700/- in PB. IV or Total 13 years of service including in G.P 8700/-

3. उपरोक्त केन्द्रीय डायनेमिक ए०सी०पी० का वैचारिक लाभ दिनांक-29.10.2008 की तिथि से एवं वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2017 की तिथि से प्रभावी होगा ।

4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाए तथा इसकी 25 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

**ह० / -**

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2/एम-41/2017-

89(2)

पटना, दिनांक 25/1 /2018

प्रतिलिपि : सचिव, वित्त मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार, लोक सेवा आयोग, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय अपरनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी सिविल सर्जन/ सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, पटना, मुजफ्फरपुर, भागजपुर/क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर/निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, हड्डी अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना/निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड, अस्पताल, पटना/निदेशक, राजेन्द्र नगर, अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/निदेशक, मानसीक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/ फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर, राजगीर/निदेशक, यक्ष्मा प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना/निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान पटना/अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी पटना/अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना/अधीक्षक, लेडी एल्गीन जनाना अस्पताल, गया/एम०जे०के०अस्पताल, बेतिया/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अप लोड करने हेतु / विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, 1,2,3,7,9,17, एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

89 (2)  
25/1/2018

  
25/1/18

सरकार के विशेष सचिव